

श्री कौंगी जेडा
पं.सं. 163/25 लदाना जीला नं. 26

रिपोर्ट पदवारी एवं मू-अभिलेख निरीक्षणक

जमावे दी ग्राम वीरधारा के खाना नं. 105 पर दर्ज जार्डी का नाम भीमा
पिता कालु जोगी दर्ज है, जबकि जार्डी के समस्त इस्तेमाल के
भीमराज पिता कालु जोगी दर्ज है। अतः जार्डी का नाम राजलक्ष्मी
देवई से भीमा पिता कालु जोगी के बजाय भीमराज पिता
कालु जोगी दर्ज किया जाना उचित है। ^{भीमा उर्फ} उक्त नाम विरासत से दर्ज हुआ है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
I.P.R साकराडा/फरहना

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मधेस

पदवारी व अंतिम हक के रिपोर्ट अनुसार ग्राम वीरधारा के खाना
105 के खलेना की नाम जमावेदी में विरासत से भीमा पुत्र कालु
जोगी दर्ज है। जार्डी का नाम कालु जोगी के बजाय भीमराज पिता
कालु जोगी दर्ज करना उचित है। अतः जार्डी का नाम राजलक्ष्मी
देवई से भीमा पिता कालु जोगी के बजाय भीमराज पिता
कालु जोगी दर्ज किया जाना उचित है।

-- आदेश --

तहसीलदार, मावली
जिला-उदयपुर (सज.)

पं.सं. - 163/25 विविध

दिनांक - 29/9/25

तहसीलदार मावली की अनुशंसा अनुसार जार्डी का नाम
भीमा पिता कालु जोगी की बजाय भीमा उर्फ भीमराज पिता
कालु जोगी दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।



(Handwritten signature)
उपखण्ड अधिकारी
मावली, जिला-उदयपुर